

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी / अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट

श्री डूंगाराम पुत्र श्री पीराराम  
जाति रेबारी निवासी कांटल  
तहसील पिण्डवाडा  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 34 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही को एक आवेदन दिनांक 27.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव कांटल के विद्यालय के पीछे ग्राम पंचायत अजारी के द्वारा समतलीकरण कार्य मौके पर नहीं हुआ और बजट का एम.बी. भरकर पेमेन्ट उठाया है। उसकी जांच जिला परिषद सिरौही में हुई है। उक्त जांच की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही को एक आवेदन दिनांक 27.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गांव कांटल के विद्यालय के पीछे ग्राम पंचायत अजारी के द्वारा समतलीकरण कार्य मौके पर नहीं हुआ और बजट का एम.बी. भरकर पेमेन्ट उठाया है। उसकी जांच जिला परिषद सिरौही में हुई है। उक्त जांच की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरौही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरौही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही